



**प्रविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश**

विकास नगर, कानपुर-208002
Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

Phone No. 0512-2382884
Fax No. 0512-2382884
E-mail: Director@upted.gov.in
www.upted.gov.in

-जादेश-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक सेवाओं की संयुक्ति के आभार पर सातनादेश 20-04/2021/1/4/2011-सा-4-2021 दिनांक-29.04.2021 में निहित प्रावधानानुसार कर्मचारी अनुदेशक, शहीद राम ईश्वरदेवता 80 9300-34800 साक्षर प्रैक्टिसन 4200/- (पुनर्गठित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेवल-6) में नियुक्त वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत नहोई काले सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अर्थात् जीववैज्ञानिक विद्युत् उनके नाम के सम्मुख अंकित तादिका के संख्या-4 में अंकित संख्या में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस रजि. के साथ की जाती है कि यदि अर्थात् का वरिष्ठ एवं पूर्वोक्त सत्यपि नहीं होता है या अर्थात् द्वारा अपने स्व-सहायन या घोषणा पर में कोई गलत सूचना दी गयी है तो जीववैज्ञानिक विद्युत् पर तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप अपराधिक/वित्तिक कार्यवाही भी की जाएगी। अर्थात् की यह विद्युत् पूर्णतया अस्थाई है एवं विद्युत् अर्थात् की सेवाएँ सातनादेश संख्या-20/1/74-3 दिनांक-11.06.1975 में निहित प्रावधानानुसार किसी भी पद द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है-

क्रमांक	अर्थात् का नाम एवं पद व्यवहार का पता	स्थाई पता	संख्या जहाँ विद्युत् की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री हरिन्द सुन्दर राय पुत्र श्री राम जीव राय, ग्राम ब फोस्ट देवसिया, तलसील-बरहज जिला-देवरिया उत्तर प्रदेश-274802	ग्राम ब फोस्ट देवसिया, तलसील-बरहज जिला-देवरिया उत्तर प्रदेश-274802	राजकीय पारोटेमिक, गोष्ठा

विद्युत् अर्थात् द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय-समय पर क्यासंश्लेषित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाक ज्येष्ठता नियमवली, 1991" में निहित प्रावधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अर्थात् को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. जो राजसंश्लेषित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ प्रमाण-पत्र।
3. एक पानी जोषित होने अथवा अविश्लेषित होने का प्रमाण-पत्र।
4. मुख्य विनियन्ताधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठाबल रहने का प्रमाण-पत्र।
6. स्थानीय पुलिस थाना से वरिष्ठ सहायन संबंधी प्रमाण-पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। विद्युत् अर्थात् को विद्युत् पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अर्थात् कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इसका विद्युत् अर्थात् स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु विद्युत् अर्थात् को किसी प्रकार का कोई बाधा भत्ता देव नहीं होगा। संबंधित अर्थात् उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विशिष्ट अवधि पर रहेंगे।

(दिनेश मोहन सिंह)
निदेशक



**प्रविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश**

विकास नगर, कानपुर-208002
Visit us: <http://upted.gov.in/directorate>

Phone No. 0512-2382884
Fax No. 0512-2382884
E-mail: Director@upted.gov.in
www.upted.gov.in

पुंनः 42156-61/4-सं-सातनादेश-2021(05) कानपुर : दिनांक-23/11/24

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं अवगत कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.	अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, प्रविधिक शिक्षा अनुभाग-2, विकास भवन, सातनादेश।
रूपीय फोस्ट	2. उप वरिष्ठ, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक सेवाओं के पत्रांक-44(11)/07/सीआरए/एस-12/2013-14 दिनांक-18.07.2022 के संदर्भ में।
	3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
	4. संयुक्त निदेशक, प्रविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, कानपुर।
	5. उपायगाथार्थ, राजकीय पारोटेमिक, गोष्ठा करे इस निदेश को सत्य प्रेषित कि विद्युत् अर्थात् को पदभार ग्रहण करते समय उनके सभी पूरा प्रमाण-पत्रों की जीव सत्य के साथ के विवेक जाने के सत्यता उक्त प्रेषकों की सत्यता की जीव उक्त संबंधित कार्यलय/संस्थानों से भी अनिवार्य रूप से प्रमाणित कर ले, ताकि तदोपलब्ध ही उक्त अर्थात् की जीववैज्ञानिक विद्युत् की बुद्धि के संख्या में निदेशालय द्वारा निर्गत किया जा सके। एक के अतिरिक्त अर्थात् द्वारा संख्या में निर्धारित अति एक कार्यभार ग्रहण करने की सूचना एवं इनके उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ विद्युत् अर्थात् की फोटो भी संख्या प्रमाणपत्र द्वारा सत्य प्रमाणित कर निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि विद्युत् अर्थात् निर्धारित तिथि तक पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसके सूचना निर्धारित तिथि के बाद तत्काल अर्थात्/अधीनकारी के नाम से अलग अलग सुनिश्चित करे।
रूपीय फोस्ट	6. श्री हरिन्द सुन्दर राय पुत्र श्री राम जीव राय, ग्राम ब फोस्ट देवसिया, तलसील-बरहज जिला-देवरिया उत्तर प्रदेश-274802

(अशोक श्रीवास्तव)

उप निदेशक,

संयुक्त निदेशक, प्रविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।